FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

सुवालाल बनाम आसीराम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. [illegible] सन् [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17-2-20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप./[illegible] अधिकारी दौरे/अन्य [illegible] में [illegible]/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 4-5-20 को पेश हो। [signature]	
07.09.2019	कोविड–19 संक्रमण होने से पत्रावलियों में इकजाई तारीख पेशियाँ दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर Not Press में खारीज किये जाने का निवेदन किया है। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को Not Press में खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	Not Press [illegible] 7.9

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.18 10:19:20 IST
Reason: SelfAttested